इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

146747 - पश्चिमी देशों में रियल एस्टेट के क्षेत्र में ब्रोकरेज (दलाली) का हुक्म

प्रश्न

मेरे पित संयुक्त राज्य अमेरिका में एक रियल एस्टेट ब्रोकर (दलाल) के रूप में काम करते हैं। क्या यह काम जायज़ है?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।.

मूल सिद्धांत यह है कि रियल एस्टेट (अचल संपत्ति) को बेचने या किराए पर देने में दलाली (ब्रोकरेज) का काम करना, तथा उसके लिए दोनों पक्षों या उनमें से किसी एक से मुआवज़ा प्राप्त करना जायज़ है। सिवाय इसके कि दलाली में किसी निषद्ध (हराम) चीज़ में सहायता करना शामिल हो, जैसे कि शराब बेचने के लिए, या सूदी कारोबार के लिए, या जुए के लिए, या मनोरंजन मशीनें (वाद्य यंत्र) बेचने के लिए, या गाने और नाचने का अभ्यास करने के लिए जगह खरीदने, या बेचने या किराए पर देने के लिए किसी की मध्यस्थता करना। अतः ज्यों ही दलाल को पता चले कि सौदे का जो उद्देश्य है वह हराम (निषद्ध) है, उसके लिए शुल्क के बदले या मुफ्त में उसपर मदद करना जायज़ नहीं है। क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِتْم وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

المائدة: 2

"नेकी और तक़्वा (परहेज़गारी) के कामों में एक-दूसरे का सहयोग करो तथा पाप और अत्याचार में एक-दूसरे का सहयोग न करो, और अल्लाह से डरो। नि:संदेह अल्लाह कड़ी यातना देने वाला है।" (सूरतुल मायदा: 2)

हराम चीज़ों में मदद करने में यह भी शामिल है कि : वह किसी ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन करे जिसके बारे में उसे पता है कि वह बैंक से या उसके अलावा किसी अन्य माध्यम से सूद के द्वारा संपत्ति खरीदेगा। अत: ऐसे व्यक्ति का संपत्ति खोजने में मार्गदर्शन करना, उसे निषिद्ध काम करने में मदद देना और उसके लिए आसानी पैदा करना है। लेकिन अगर उसे इसके बारे में पता नहीं है, तो उसे निर्देशित करने में उसपर कोई आपत्ति नहीं है। इसी तरह, अगर उस आदमी ने सूदी लेनदेन किया है

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

और उससे पैसा लाया है, तो उसे अचल संपत्ति के बारे में बताने में कोई हर्ज नहीं है ; क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने ब्याज पर पैसा उधार लिया है, तो उसके लिए उसके द्वारा संपत्ति या कुछ और खरीदना जायज़ है – जबिक उसे ब्याज का गुनाह मिलेगा -, इसलिए जायज़ मामले में उसकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है।

तथा प्रश्न संख्या (22905) का उत्तर देखें।

दलाली (ब्रोकरेज) के हुक्म के विषय में जानकारी के लिए प्रश्न संख्या (45726) का उत्तर देखें।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।